राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 01] सोलहवीं विधान सभा के पहले सत्र का इक्यावनवां दिवस [संख्या: 08

गुरुवार,

08 फरवरी 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: राम-राम। विराजें।

शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

सूर्य कुमार, श्री, पूर्व सदस्य

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री सूर्य कुमार के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

पूर्व विधायक श्री सूर्य कुमार ने बी.ए. एवं एलएलबी. की उपाधियां प्राप्त कीं। श्री सूर्य कुमार सातवीं राजस्थान विधान सभा में नैनवां विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप पुस्तकालय समिति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति तथा संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप नगरपालिका के सदस्य एवं चेयरमैन रहे। आप रेलवे सलाहकार समिति, कोटा; जिला परिवार नियोजन समिति तथा राज्यस्तरीय बिक्री कर सलाहकार समिति सहित अनेक समितियों के सदस्य रहे।

श्री सूर्य कुमार राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय संघ एवं नैनवां गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष भी रहे। आप राजकीय महाविद्यालय कोटा के सचिव भी रहे। शैक्षिक सुधार के लिए प्रयत्नशील रहे। श्री सूर्य कुमार विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं एवं उनकी गतिविधियों से जुड़े रहे। कांग्रेस से सम्बद्ध रहे

(श्री अध्यक्ष)

श्री सूर्य कुमार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य सहित पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे। सहकारिता एवं अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री सूर्य कुमार के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में आलेख भी प्रकाशित हुए। आप 'रवि रश्मियां' तथा साप्ताहिक 'सहकार विकास' पत्रिकाओं के सम्पादक रहे। 'सहकारिता एवं आवासीय समस्या' शीर्षक से आपकी पुस्तक भी प्रकाशित हुई।

श्री सूर्य कुमार का दिनांक 07 फरवरी, 2024 को निधन हो गया।

मैं अपनी तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

अधिसूचनाएं। श्री झाबर सिंह खर्रा।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महिला तीस घंटे से बोरवेल में पड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष: पहले यह काम पूरा हो जाए, उसके बाद। (व्यवधान) आप बैठिए। इसके बाद। (व्यवधान) माननीय झाबर सिंह खर्रा। (व्यवधान) माननीय सदस्या, आप बैठिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, वो महिला तीस घंटे से बोरवेल में फंसी हुई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। आपका विषय सरकार के ध्यान में आ गया। आप बैठिए, माननीय सदस्या।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): तीस घंटे हो गए, उसको निकालने की कार्यवाही चालू ही नहीं हुई है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, माननीय सदस्या को समझाइए। (व्यवधान) आसन पांवों पर है, आप बैठिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासन कहता है कि इस महिला को निकालना संभव नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) वित्तीय कार्य वाले दिन, पहले कोई कार्यवाही नहीं, आप विराजिए। (व्यवधान) आप विराजो। (व्यवधान) आप विराजो। आसन पांवों पर।

माननीय मंत्रीजी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

नगरीय विकास विभाग

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार नगरीय विकास विभाग की निम्न 26 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं

1. अधिसूचना संख्याः प.17 (10)नविवि/नियम/2019 पार्ट-1 दिनांक 02.08.2023 जिसके द्वारा राजस्थान सुधार ट्रस्ट (शहरी भूमि का निस्तारण) नियम, 1974 में संशोधन किया गया है;

2. अधिसूचना संख्याः प.17(10)नविवि/नियम/2019 पार्ट-1 दिनांक 02.08.2023 जिसके द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 में संशोधन किया गया है;

3. अधिसूचना संख्याः प.17(10)नविवि/नियम/2019 पार्ट-1 दिनांक 02.08.2023 जिसके द्वारा राजस्थान शहरी क्षेत्र (गैर कृषि प्रयोजनों और आबंटन के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुमति) नियम, 2012 में संशोधन किया गया है;

4. अधिसूचना संख्या: प.11(12)नविवि/अन्ता/2023 दिनांक 07.08.2023 जिसके द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा को अन्ता जिला बारां के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष 2043 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

5. अधिसूचना संख्याः प.11(13)नविवि/बालेसर सत्ता/2023 दिनांक

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

07.08.2023 जिसके द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर को बालेसर सत्ता जिला जोधपुर के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वेक्षण एवं क्षितिज वर्ष 2043 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

6. अधिसूचना संख्या: प.11(14)नविवि/बीकानेर/2023 दिनांक 10.08.2023 जिसके द्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को बीकानेर के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष 2043 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

7. अधिसूचना संख्या: प.12(2)उदयपुर/2023 दिनांक 10.08.2023 जिसके द्वारा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की "एकलिंगपुरा आवासीय योजना'' की सीमा का वर्णन किया गया है;

8. अधिसूचना संख्या: प.10(3)नविवि/3/1986 दिनांक 14.08.2023 जिसके द्वारा बारां मास्टर प्लान-2023 (संशोधित) में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन किया गया है;

9. अधिसूचना संख्याः प.1120/जेजेड/एम.पी./महवा/पार्ट-3 दिनांक 21.08 2023 जिसके द्वारा महवा (जिला दौसा) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2038 का प्रारूप तैयार कर आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये हैं;

10. अधिसूचना संख्याः प.12(8)नविवि/2023 दिनांक 21.08.2023 जिसके द्वारा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की "वाड़ा आवासीय योजना" की सीमा का वर्णन किया गया है;

11. अधिसूचना संख्या: प.11(17)नविवि/जायल/2023 दिनांक 21.08.2023 जिसके द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर को जायल जिला नागौर के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वेक्षण एवं क्षितिज वर्ष 2045 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

12. अधिसूचना संख्याः प.11(8)नविवि/छबड़ा/2023 दिनांक 05.09.2023 जिसके द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा को छबड़ा जिला बारां के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वेक्षण

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

एवं क्षितिज वर्ष 2043 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त किया गया है;

13. अधिसूचना संख्या: प.17(3)नविवि/नियम/2022 दिनांक 26.09.2023 जिसके द्वारा उदयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है;

14. अधिसूचना संख्या: प.19(1)नविवि/नियम/2023 दिनांक 28.09.2023 जिसके द्वारा श्रीमती वीनू गुप्ता को राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथोरिटी, जयपुर का सभापति नियुक्त किया गया है;

15. अधिसूचना संख्या: प.10(34)नविवि/3/2011 दिनांक 03.10.2023 जिसके द्वारा किशनगढ़ मास्टर प्लान-2031 (संशोधित) में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन किया गया है;

16. अधिसूचना संख्या: प.10(3)नविवि/3/80पार्ट-2 दिनांक 03.10.2023 जिसके द्वारा कोटा मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन किया गया है;

17. अधिसूचना संख्याः प.17(2)नविवि/नियम/2022 दिनांक 07.10.2023 जिसके द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है;

18. अधिसूचना संख्या: प.10(1)नविवि/3/81 दिनांक 09.10.2023 जिसके द्वारा सीकर (जिला सीकर) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2041 का प्रारूप तैयार कर आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये हैं;

19. अधिसूचना संख्या: प.10(31)नविवि/3/1997 दिनांक 01.02.2024 जिसके द्वारा प्रतापगढ़ मास्टर प्लान-2023 की समयावधि को दिनांक 31.12.2024 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक बढ़ाया गया है;

20. अधिसूचना संख्याः प.10(56)नविवि/3/2006 दिनांक 01.02.2024 जिसके द्वारा सलूम्बर मास्टर प्लान-2023 की समयावधि को दिनांक 31.12.2024 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक बढ़ाया गया है;

21. अधिसूचना संख्याः प.10(31)नविवि/3/2003 दिनांक 01.02.2024 जिसके द्वारा छबड़ा मास्टर प्लान-2023 की समयावधि को दिनांक 31.12.2024 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक बढ़ाया गया है;

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

22. अधिसूचना संख्या: प.10(26)नविवि/3/2000 दिनांक 01.02.2024 जिसके द्वारा डीडवाना मास्टर प्लान-2023 की समयावधि को दिनांक 31.12.2024 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक बढ़ाया गया है;

23. अधिसूचना संख्याः प.10(39)नविवि/3/1998 दिनांक 01.02.2024 जिसके द्वारा देवली मास्टर प्लान-2023 की समयावधि को दिनांक 31.12.2024 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक बढ़ाया गया है;

24. अधिसूचना संख्याः प.10(6)नविवि/3/2003 दिनांक 01.02.2024 जिसके द्वारा अनूपगढ़ मास्टर प्लान-2023 की समयावधि को दिनांक 31.12.2024 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक बढ़ाया गया है;

25. अधिसूचना संख्याः प.10(7)नविवि/3/1997 दिनांक 01.02.2024 जिसके द्वारा शाहपुरा मास्टर प्लान-2023 की समयावधि को दिनांक 31.12.2024 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक बढ़ाया गया है;

26. अधिसूचना संख्या: प.10(1)नविवि/3/1999 दिनांक 01.02.2024 जिसके द्वारा अन्ता मास्टर प्लान-2023 की समयावधि को दिनांक 31.12.2024 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक बढ़ाया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल नागर।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग के निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

1. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104(4) के अन्तर्गत

(श्री हीरालाल नागर)

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2022-23;

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण (वर्ष 2022-23)

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण वर्ष 2022-23;

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2022-23)

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2022-23;

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

4. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23;

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

5. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23;

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे (वर्ष 2022-23)

6. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2022-23.

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन।

सुश्री दिया कुमारी।

षष्टम् राज्य वित्त आयोग, राजस्थान का प्रतिवेदन (वर्ष 2020-25) एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से षष्टम् राज्य वित्त आयोग राजस्थान का प्रतिवेदन (2020-25 के लिये) तथा उस पर की गई कार्यवाही विवरण का ज्ञापन सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा-28 की उप धारा 2 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

लोकायुक्त राजस्थान का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन मय स्पष्टीकारक ज्ञापन (वर्ष 2023)

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-12(4) के अन्तर्गत लोकायुक्त राजस्थान का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 मय स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री कन्हैयालाल।

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान जल विकास निगम के मेमोरेन्डम आफ आर्टिकल के नियम-114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल नागर।

अधिसूचना

ऊर्जा विभाग

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं-

1. अधिसूचना संख्याः राविविआ/सचिव/विनियम/ 152 दिनांक 10.10.2023 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (सेवा) विनियम, 2005 में संशोधन किया गया है;

2. अधिसूचना संख्याः रा.वि.वि.आयोग/सचिव/विनियम 153 दिनांक 08.12.2023 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 का उपस्थापन।

सुश्री दिया कुमारी।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 का उपस्थापन

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं राज्य के वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय अनुमान प्रस्तुत कर रही हूं।

2. प्रदेश की जनता ने हमारी जनकल्याण की भावना में आस्था रख, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन स्थापित करने तथा राजस्थान को अग्रणी विकसित राज्य बनाने के संकल्प में विश्वास जताते हुए हमें जनादेश प्रदान किया है। हमें पूर्ण आशा है कि हम सुराज संकल्प की सिद्धि के लिए पूरे मनोयोग से कार्य कर विकसित एवं उन्नत राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप देने में सफल होंगे।

3. प्रदेश को अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए हम 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास व सबका कल्याण' की सोच के साथ अथक परिश्रम कर अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का सतत प्रयास करेंगे।

प्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह 'सुमन' की पंक्तियों से प्रेरणा लेकर हम सार्थक प्रयास का संकल्प लेते हैं-

(सुश्री दिया कुमारी)

"गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दस्दर खड़ा,

जब आज मेरे सामने है, रास्ता इतना पड़ा।

जब तक न मंजिल पा सकूं, तब तक मुझे न विराम है,

चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है।"

4. माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की अदूरदर्शी सोच तथा गलत नीतियों के फलस्वरूप हमें विरासत में बहुत बड़ा कर्ज भार मिला है। गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग दुगुना होकर वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार 5 लाख 79 हजार 781 करोड़ (पांच लाख उन्नासी हजार सात सौ इक्यासी करोड़) रुपये हो गया है और राज्य का डेट जी एस डी पी अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों में पंजाब के बाद सर्वाधिक है। इसके साथ ही, वर्ष 2023-24 के अन्त में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण वर्ष 2017-18 के 36 हजार 880 (छत्तीस हजार आठ सौ अस्सी) रुपये से बढ़कर 70 हजार 800 (सत्तर हजार आठ सौ) रुपये हो जाना सम्भावित है। इसका मतलब कि आपकी वजह से हमारा कर्ज भार आज की तारीख में दुगुना हो चुका है।

5. पिछली सरकार के कार्यकाल में लिये गये 2 लाख 24 हजार 392 करोड़ (दो लाख चौबीस हजार तीन सौ बानवे करोड़) रुपये के ऋण में से मात्र 93 हजार 577 करोड़ (तिरानवे हजार पांच सौ सतहत्तर करोड़) रुपये का पूंजीगत व्यय किया गया। इससे स्पष्ट है कि गत सरकार द्वारा लगभग 60 प्रतिशत ऋण का उपयोग गैर पूंजीगत राजस्व व्यय हेतु किया गया, अर्थात् प्रदेश के दीर्घकालीन विकास व अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर समुचित ध्यान दिया ही नहीं गया। राज्य के संसाधनों के आकलन एवं दीर्घकालिक परिणामों के विचार बिना ही जल्दबाजी में अनेक योजनाएं लागू की गयीं, जिसके कारण राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं भुगतान में लगातार अन्तर बढ़ता गया है।

बिना किसी प्लानिंग के, जिस तरह से आपको पूरी आर्थिक प्लानिंग करनी चाहिये थी, आपने नहीं की और बिलकुल ही, बिलकुल वही एक राजनीतिक दृष्टिकोण से आपने घोषणाएं कर दीं। इसी का परिणाम है यह।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैडम, आप यह कैसे बता सकती हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिये।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): इसीलिए आज आप वहां बैठे हैं और हम यहां।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बजट भाषण पूरा सुनिये।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): मैं क्या बताऊंगी? आपको जनता ने जवाब दे दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बजट सुनिये। बिना अनुमति के आप खड़े नहीं होंगे। सुन लीजिये। आपका जब मौका आयेगा, तब आप बोलियेगा। आप बैठिये। (व्यवधान)

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): आप बोलने तो दीजिये मुझे। अभी तो शुरुआत है। आगे-आगे देखिये, क्या-क्या होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह बहस का मुद्दा नहीं है। आप सुनिये। जब आपका मौका आयेगा, तब बोलिये। (व्यवधान) अभी बोलने की अनुमति नहीं है। माननीय सदस्य, देखिये फिर से डिस्टर्ब न करें, नहीं तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): 6. पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रदेश जहां एक ओर विपरीत वित्तीय स्थिति में आ गया, वहीं दूसरी ओर गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, लचर कानून-व्यवस्था, कुशासन एवं तुष्टिकरण के कारण प्रदेश के विकास की गति भी मन्द हुई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह बहुत हो गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, फिर बोल रहे हैं। बैठिये।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): सच सुनने में आपको दिक्कत क्यों है? यह सच्चाई है, सच्चाई।

श्री अध्यक्ष: सदन की मर्यादाओं को भंग मत करिये। वित्त मंत्री जब बोल रही हैं, किसी को बोलने की अनुमति नहीं है। (व्यवधान) बैठिये। मिस्टर बौहरा, यह अन्तिम चेतावनी दे रहा हूं। इस सत्र में अन्तिम चेतावनी दे रहा हूं। मुझे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर मत करें। बैठिये। मिस्टर बौहरा, अन्तिम चेतावनी दे रहा हूं, अब की बार खड़े हुए, You will be out. (व्यवधान) बैठिये। माननीय डोटासरा जी, बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये। आप सुनिये। उसके बाद जब आपका मौका आयेगा, तब बोलिये। (व्यवधान) फिर बोल रहे हैं। रोहित बौहरा, मैं आपको अन्तिम चेतावनी दे रहा हूं। तमाशा बना रखा है सदन का। आप बैठें।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए हम माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के सहयोग के साथ-साथ हमारी सरकार की ठोस कार्य योजना, सुशासन एवं कठिन परिश्रम से प्रदेश को सतत विकास के मार्ग पर ले जाएंगे।

7. मैं माननीय सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगी कि राजस्थान को विकसित, समृद्ध, सशक्त एवं खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं आने दी जायेगी, क्योंकि अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है।

8. मैं यहां सम्मानित सदन को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का कथन याद दिलाना चाहूंगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में खड़े होने की ...(व्यवधान) आप बोलिये, लेकिन पहले सुनिये। जब आपका बहस में नाम आये, तब बोलियेगा। मना नहीं है।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): मैं यहां सम्मानित सदन को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का कथन याद दिलाना चाहूंगी- "पहले कहा जाता था कि इस देश के किसानों की एवं गरीबों की तीन आधारभूत आवश्यकताएं हैं- बिजली, पानी और सड़क। हमने उसमें दो और चीजों को जोड़ दिया- शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर इन पांच चीजों को प्राथमिकता दी जाये और उन्हें सर्वसुलभ किया जाये तो रोजगार अपने आप पैदा होगा और भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए मजबूत आधार का निर्माण होगा, इसलिए आज हिन्दुस्तान के कोने-कोने में एक ही मंत्र गूंज रहा है-

'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।'

हम इस मंत्र को लेकर विकास को नयी ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।" (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे बोलेंगे तो फिर ये भी बोलेंगे।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): 9. हमने प्रदेश की जनता को दिये अपने आश्वासन और माननीय प्रधान मंत्री जी की गारंटियों को लागू करने की दिशा में त्वरित गति से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में LPG Cylinder देने के संकल्प को लागू कर लगभग 73 लाख (तिहत्तर लाख) परिवारों को राहत प्रदान की है। हमने जरूरतमन्द व्यक्तियों को कम कीमत

(सुश्री दिया कुमारी)

पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से पूर्व में दिये जा रहे 450 ग्राम भोजन की मात्रा को बढ़ाकर 'श्री अन्नपूर्णा रसोई' के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का निर्णय किया है। इस हेतु प्रति थाली राजकीय सहायता 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये की गयी है। इस योजना के लिए लगभग 350 करोड़ (तीन सौ पचास करोड़) रुपये वार्षिक व्यय होगा।

10. हमारी सरकार आधारभूत संरचना के विकास, दूरदराज के क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार आदि सुविधाओं की पहुंच तथा वंचित वर्गों हेतु अतिरिक्त सहायता/सामाजिक सुरक्षा पर समान रूप से ध्यान देकर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेगी।

11. गत सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर प्रदेश के लाडपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आहोर, डग, मालपुरा, गोगुन्दा जैसे कई इलाकों/क्षेत्रों के लिए कोई योजना स्वीकृत ही नहीं की। अब विकास का क्षेत्रीय सन्तुलन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैं ऐसे वंचित विधान सभा क्षेत्रों में अतिरिक्त महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थापित अथवा क्रमोन्नत करने के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा करती हूं।

12. प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सड़कों का नेटवर्क रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाता है। सड़कों के उन्नयन एवं निर्माण में भी क्षेत्रीय भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, अत: इस भेदभाव का निदान करने के लिए State Road Fund में 1 हजार 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करने की घोषणा करती हूं।

13. पिछली सरकार के सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान कुप्रबन्धन एवं भ्रष्टाचार के चलते राज्य में लगातार बिजली संकट की स्थिति बनी रही। (व्यवधान) यह आपने छोड़ा है हमारे लिए, हम इसे ठीक करेंगे। आपका पूरी तरह से कुप्रबन्धन, यह हमें मिला है विरासत में। पांच साल का कुप्रबन्धन।

केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में बिजली कम्पनियों की आर्थिक स्थिति सुधारकर उन्हें पुन: पटरी पर लाने के उद्देश्य से 'उदय योजना' लायी गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत बिजली कम्पनियों का लगभग 62 हजार

(सुश्री दिया कुमारी)

400 करोड़ (बासठ हजार चार सौ करोड़) रुपये का ऋण भार सरकार द्वारा अपने ऊपर लेते हुए उन्हें इस भार से मुक्ति दिला दी गयी थी।

गत सरकार की नीतियों, ऊर्जा विभाग तथा बिजली कम्पनियों की कार्यप्रणाली के कारण वर्तमान में DISCOMs पर लगभग 88 हजार 700 करोड़ (अट्ठासी हजार सात सौ करोड़) रुपये सहित समस्त बिजली कम्पनियों पर 1 लाख 39 हजार 200 करोड़ (एक लाख उनतालीस हजार दो सौ करोड़) रुपये से अधिक का ऋणभार हो गया है। वर्ष 2022-23 के अनुसार राजकीय उत्पादन कम्पनी की उत्पादन क्षमता लगभग 8 हजार 300 (आठ हजार तीन सौ) Mega Watt (MW) होने के उपरान्त भी औसतन 4 हजार 800 (चार हजार आठ सौ) Mega Watt (MW) अर्थात् मात्र लगभग 55 प्रतिशत क्षमता के साथ उत्पादन हो रहा है। इस कारण प्रदेश में समुचित बिजली उपलब्ध कराने के लिए महंगी बिजली Exchange से क्रय करनी पड़ रही है। वर्ष 2022-23 में 3 हजार 700 करोड़ (तीन हजार सात सौ करोड़) रुपये से अधिक की बिजली Exchange से खरीदने के कारण यह अतिरिक्त वित्तीय भार राजकोष पर पड़ा।

14. हम इस स्थिति से निपटने व बिजली कम्पनियों में Professional Administration स्थापित करने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठायेंगे। इस दृष्टि से प्रसारण निगम में केन्द्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप 'Invit/ToT' लाने के साथ ही, सभी बिजली कम्पनियों/ निगमों का विशेषज्ञों की सहायता से 'Business Plan' तथा 10 वर्ष की अवधि ध्यान में रखते हुए Resource Adequacy Plan बनाकर समयबद्ध रूप से लागू किया जाना प्रस्तावित है।

15. माननीय प्रधान मंत्री जी ने अक्षय ऊर्जा को जन-जन से जोड़ते हुए बढ़ावा देने की दृष्टि से अयोध्या में प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा के पावन एवं ऐतिहासिक दिवस-22 जनवरी, 2024 को सम्पूर्ण देश में एक करोड़ households को सौर ऊर्जा से electrify करने की महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' की घोषणा की है। जैसाकि विदित है, राजस्थान में Solar Insolation देश में सर्वाधिक है। ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदेशवासियों को अधिकाधिक प्राप्त हो, इस हेतु ऊर्जा विभाग में PMU (Project Monitoring Unit) का गठन कर 5 लाख से अधिक घरों पर Solar

(सुश्री दिया कुमारी)

Plants स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है। जिससे ऐसे परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली नि:शुल्क मिल सकेगी।

16. प्रदेशवासियों को प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही fossil fuels (पेट्रोल एवं डीजल) की बचत के लिए Public Transport में Electric Vehicles को बढ़ावा देने हेतु, Inter-state के साथ-साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 Electric Buses उपलब्ध करवाये जाने की, मैं घोषणा करती हूं। साथ ही, जयपुर शहर की Traffic Congestion सम्बन्धी समस्याओं का निदान करने की दृष्टि से Jaipur Metro का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा, अम्बाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के route पर करने के लिए DPR तैयार करवायी जायेगी।

17. माननीय सदन के साथ ही प्रदेश की जनता में भी यह विदित है कि गत सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत न सिर्फ भारी भ्रष्टाचार हुआ एवं गुणवत्ता सम्बन्धी भी बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं बल्कि परियोजना के implementation की गति भी अत्यधिक धीमी थी। इस कारण हमारे प्रदेश का JJM coverage में सम्पूर्ण देश में तैंतीसवां स्थान है। आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते थे। साफ-साफ बात तो यही है न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह बजट भाषण है?

श्री अध्यक्ष: आप बजट भाषण पढ़ें। मैंने कह दिया है। यह मेरा काम है। आप सुनिये।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अब हम, परियोजना का कार्य पूर्ण..। आप मुझे बोलने तो दीजिये। इतने बौखला क्यों रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह मेरा काम है। मेरा काम मुझे करने दीजिये। माननीय सदस्य, बैठे बैठे नहीं। आप अपना शुरू करिये।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): क्या महिला वित्त मंत्री से कोई दिक्कत है आपको?

अब हम, परियोजना का कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ त्वरित गति देते हुए सम्पन्न करने के लिए सभी सम्भव प्रयास करेंगे। इस क्रम में योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से

(सुश्री दिया कुमारी)

जल उपलब्ध कराया जायेगा। इस कार्य हेतु लगभग 15 हजार करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

18. गत सरकार द्‌वारा न सिर्फ 'जल जीवन मिशन' जैसी केन्द्र प्रायोजित योजना (CSS) में पिछड़ने के कारण अत्यधिक संख्या में ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में जल की सुविधा से वंचित रखा, अपितु प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल के साथ-साथ सिंचाई के लिए अति महत्वपूर्ण ERCP परियोजना (Eastern Rajasthan Canal Project) को केन्द्र सरकार से पूर्ण सहयोग मिलने के बाद भी स्वीकृत नहीं कराया गया। इससे गत सरकार की नीयत और कार्यप्रणाली की स्पष्ट झलक मिलती है।

माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देशन एवं माननीय केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री की पहल पर अब हमने केन्द्र सरकार के जलशक्ति मंत्रालय द्‌वारा ERCP परियोजना को River Linking Projects में सम्मिलित कर स्वीकृत किये जाने के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार के मध्य MoU को sign कर शीघ्र प्रारम्भ करने का मार्ग प्रशस्त किया है। आप इससे भी खुश नहीं हैं, वंचित रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय विपक्ष के नेता, सुनिये। एक बार भाषण हो जाये।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): 21 जिलों को पीने के पानी से, सिंचाई के पानी से, आपको इसमें दिक्कत क्या है? आप तो कर नहीं पाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप दसवीं बार खड़े हुए हैं। यह बर्दाश्त नहीं होगा। पहले सुनिये, फिर आपका मौका आये, तब आप भी बोलिये।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): सदन के माध्यम से मैं ERCP परियोजना को त्वरित गति से implement करने की दिशा में, इस महत्वपूर्ण कदम को उठाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री जी एवं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। इस महती परियोजना के लिए हम state share समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। हमने वैसे परियोजना को और बढ़ाया है। 21 जिलों को इससे लाभ मिलेगा। ये तो मुझे लगता है, इतनी बड़ी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए। क्या आपको इससे आपत्ति है?

श्री अध्यक्ष: आपका जब मौका आये, तब बोल लेना, मना थोड़े ही है। माननीय धारीवाल जी, जब आपका मौका आयेगा, आपको भी नियमों के अनुसार बोलने देंगे। आप बैठिये। अभी इनका भाषण सुनिये।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): यह सब कुछ जनता देख रही है। माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि अब केन्द्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना को और वृहद् रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ायी जायेगी तथा पूर्व में अनुमानित परियोजना के लिए आवश्यक राशि 37 हजार 250 करोड़ (सैंतीस हजार दो सौ पचास करोड़) रुपये को बढ़ाकर लगभग 45 हजार करोड़ (पैंतालीस हजार करोड़) रुपये की परियोजना implement की जानी प्रस्तावित है।

हमने इसको बढ़ाया है। आपको भी इससे खुश होना चाहिए। आपको तो हर चीज में आपत्ति है। जनता को कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए। जनता को प्यासा रखो, भूखा रखो, गरीब रखो।

श्री अध्यक्ष: माननीय, अब आप बोलिये। आपको मौका दूंगा। मुझे कुछ कहना पड़ेगा क्या? बजट भाषण में इंटरवीन नहीं करेंगे। आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना है तो सुनिये, नहीं तो बाहर जाइये। माननीय सदस्य, सुनना है तो सुनिये, नहीं तो विराजिये। आसन पांवों पर है। श्रीमान् धारीवाल जी, मैं आपका नाम पुकार रहा हूं, बैठिये। आप बैठिये। यह बर्दाश्त नहीं होगा।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): 19. पेयजल एवं सिंचाई हेतु निर्मित की जा रही वृहद् परियोजनाओं के साथ-साथ, छोटे-छोटे स्तर पर 'In situ' जल संग्रहण करना भी अति आवश्यक है। इसी दृष्टि से हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में जल संग्रहण एवं संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की शुरुआत की गई थी। अब मैं पुन: आगामी वर्ष से लगभग 11 हजार 200 करोड़ (ग्यारह हजार दो सौ करोड़) रुपये की राशि से मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 शुरू किये जाने की घोषणा करती हूं।

श्री अध्यक्ष: वैल में आओगे तो कार्यवाही करनी पड़ेगी। आप अपनी-अपनी सीटों पर जाइये। आप भी बीच में नहीं बोलेंगे, मिस्टर रोहित बौहरा। आप कंटीन्यू रखें।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): इसके तहत आगामी चार वर्षों में 20 हजार गांवों में पांच लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाये जायेंगे। प्रथम

(सुश्री दिया कुमारी)

चरण में आगामी वर्ष 5 हजार से अधिक गांवों में 3,500 करोड़ रुपये की राशि से 1 लाख 10 हजार कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

सदन कूप में

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश)

श्री अध्यक्ष: सुनिये। सीटों पर जाइये। सबसे निवेदन है कि सीटों पर जाइये। अपनी-अपनी सीटों पर जाइये। आपने भी पढ़ा है पहले। सीटों पर जाइये। एक मिनट मुख्य मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको लगना चाहिये और...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनिये। सदन के नेता बोल रहे हैं। सुनिये।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आपको यह दिक्कत नहीं होनी चाहिये। आप पहले सुनिये।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। कृपया बैठिये।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आप मर्यादा की बात करते हैं, थोड़ा मर्यादा में हमको भी देखना चाहिये। देखिये, यह बजट है, यह कोई बहस नहीं है और मैं आपसे यह कह रहा हूं कि एक महिला बजट पढ़ रही हैं आपको उनको प्रोत्साहित करना चाहिये। (व्यवधान) ऐसे नहीं।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। सदन के नेता जब खड़े हों...। हां, आप बोलें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन के नेता से कहना चाहूंगा कि हमें महिला के बजट पढ़ने से कोई एतराज नहीं है और महिला भी हमारे प्रदेश की उप मुख्य मंत्री हैं। आप महिला क्यों कह रहे हैं? आधी आबादी का नेतृत्व कर रही हैं। मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): गलत कहा है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हो गया।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): हमारी माननीय वित्त मंत्री हैं। इसीलिये मैं आपसे कह रहा हूं, माननीय, महिला वित्त मंत्री हैं और वे बजट

(श्री भजन लाल शर्मा)

पढ़ रही हैं। आपको थोड़ा शान्ति से बजट को सुनना चाहिये। (व्यवधान) धारीवाल जी, आप सीनियर हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे नहीं बोलें। सदन के नेता खड़े हैं। आपको भी मौका दूंगा। बैठिये।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): सुनिये, धारीवाल जी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य धारीवाल जी, सदन के नेता जब खड़े हों या विपक्ष के नेता खड़े हों तो कोई नहीं खड़ा होगा।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): धारीवाल जी, आप सुनिये, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप इस सदन के सीनियर हैं। आप इस सदन के सीनियर हैं। आपसे जो नये लोग हैं, वो शिक्षा भी लेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप क्यों बोल रहे हैं? आपके नेता बोल रहे हैं।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): आप शिक्षा दीजिये। आप सदन के सीनियर हैं। ऐसे नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मेरा कहना यह है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जब ये खड़े हैं तो आप बैठिये। सुनिये। बैठिये। पहली बार चुन कर आये हो क्या? बैठिये।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): नहीं-नहीं, आप ऐसा मत करिये। यह सदन की गरिमा हम सबको रखना आवश्यक है। (व्यवधान)

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): ...(व्यवधान) यह सदन नहीं है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह सदन है। आप बैठिये।

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): इस सदन की गरिमा रखना हम सबका कर्तव्य है। हम पक्ष-विपक्ष बाद में हैं, लेकिन यह सदन है। यह सदन है। हम पक्ष-विपक्ष बाद में, पहले यह सदन है और इस सदन की गरिमा हर सदस्य को रखना आवश्यक है। हमारी माननीय महिला वित्त मंत्री बजट पढ़ रही हैं, आपको कहना है उसके लिए आपको मौका मिलेगा। ...(व्यवधान) ऐसे थोड़े है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमान् रोहित बोहरा, अन्तिम चेतावनी दे रहा हूं। तमाशा बना रखा है आपने सदन को। आप अपने सदस्यों को सम्भालिये नहीं तो, I will call him.

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, बात एक महिला की नहीं है। पहले तो मैं सदन के नेता को यह कहना चाहूंगा कि हम महिलाओं का पूरा सम्मान करते हैं। आप एज ए फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर बजट पढ़ रही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बात यह है कि हम तो हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं वो भी महिला हैं, उनका भी बजट सुन रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि सदन की जो परिपाटी है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। बैठिये। यह मेरा काम है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आपके नेता बोल रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, पहले भी मैंने कहा था। पहले भी मैंने कहा था आपसे कि यहां पर जो चुन कर लोग आये हैं, जनता ने तो चुन कर भेज दिये, लेकिन यह सदन की मर्यादा नहीं रख रहे हैं। (व्यवधान) मैं यह कहना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके इधर भी कई लोग नहीं रख रहे हैं। आप इन लोगों को समझाइये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे सदस्यों की मेरी जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष: सबकी जिम्मेदारी है। पक्ष की भी है, विपक्ष की भी है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे सदस्य जो बोल रहे हैं न, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। यह मेरा काम है। आपको किसने कहा खड़े होने के लिये, मि. रफीक खान? हां, आप दो मिनट बोलें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, आप बजट पढ़िये। जो आपको लिखा हुआ दिल्ली से आया है वो आप पढ़ लीजिये। आप अलग से टीका-टिप्पणी इस बजट में नहीं कर सकते। यह परिपाटी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): यह आप मुझे मत बतायें, मैं भी जानती हूं। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप खूब बोल लिये। सुनिये। मुख्य मंत्री जी खूब बोल लिये। राज्यपाल के अभिभाषण पर जो आप लोगों को बोलना था वो बोल लिये। यह राज्यपाल का अभिभाषण नहीं है, यह बजट है। बजट वो ही पढ़ना पड़ेगा जो इसके अन्दर लिखा हुआ है।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): आप पढ़ने देंगे तभी तो पढ़ूंगी। आप बीच-बीच में इंटरप्ट करेंगे तो कैसे पढ़ूंगी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, आपकी मंत्री पढ़ रही हैं।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अगर आप इंटरप्ट नहीं करेंगे तो मैं बिलकुल वरबेटम पढ़ती हूं।

श्री अध्यक्ष: आप अपने मंत्री को नहीं सुन रहे। आप पढिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) हम कभी बीच में नहीं बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय वित्त मंत्री जी, आप पढ़िये अपना।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 20. प्रदेश में वन संरक्षण एवं वन्यजीवों के विकास हेतु आगामी वर्ष-

I. Tree Outside Forest in Rajasthan (TOFIR) कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किये जायेंगे।

II. Rajasthan Forestry and Bio Diversity Development Project के अन्तर्गत वृक्षारोपण, ओरण विकास, पौध वितरण व आजीविका संवर्द्धन गतिविधियों आदि के लिए 300 करोड़ रुपये के कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

III. अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए इसके आसपास के 30 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जायेगा।

IV. गोडावण संरक्षण हेतु टनल निर्माण का कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

V. Black Bucks हेतु जसवंतगढ़-नागौर में Habitat Development के कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं।

21. माननीय सदस्यों को विदित है कि प्रदेश की GSDP में लगभग

(सुश्री दिया कुमारी)

30 प्रतिशत हिस्सा Agriculture and Allied Sector (कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र) का है। वर्तमान में कृषि व पशुपालन से राज्य में लगभग 85 लाख (पचासी लाख) परिवारों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। किसानों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता इस बात से भी प्रकट होती है कि 30 जनवरी, 2024 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार 6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार रुपये वार्षिक करने की घोषणा की है, जिसके लिए एक हजार 400 करोड़ (एक हजार चार सौ करोड़) रुपये वार्षिक का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही, प्रथम चरण के रूप में रबी, 2023-24 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price-MSP) के अतिरिक्त 125 (एक सौ पच्चीस) रुपये प्रति क्विंटल Bonus उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है। इस पर 250 करोड़ (दो सौ पचास करोड़) रुपये व्यय होंगे।

22. कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जाते हुए अपने किसान साथियों को भी अधिकाधिक सम्बल देने की दृष्टि से Rajasthan Agriculture Infra Mission को शुरू कर प्रारम्भ में 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किये जाने की घोषणा करती हूं। इसके अन्तर्गत 20 हजार Farm Ponds, 10 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन, 50 हजार किसानों के लिए तारबंदी, 5 हजार कृषकों हेतु Vermi Compost इकाइयाँ एवं नये Agro-Processing Clusters, Food Parks तथा Horticulture Hub स्थापित करने के कार्य हाथ में लिये जायेंगे। साथ ही, 500 (पांच सौ) Custom Hiring Centres स्थापित किये जाकर Drone जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

23. माननीय सदस्यों को विदित है कि Millets, जिन्हें माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा 'श्रीअन्न' की संज्ञा दी गयी, के उत्पादन में हमारा प्रदेश देश में अग्रणी स्थान रखता है। प्रदेश में Millets के उत्पादन को और बढ़ावा देने तथा ग्रामीण परिवारों को अपनी आवश्यकता का अनाज पैदा करने की दृष्टि से, आगामी वर्ष 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग एवं 1-1 लाख किसानों को ज्वार व मोठ के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

(सुश्री दिया कुमारी)

24. ग्रामीण अंचल में निवासरत परिवार अपनी आजीविका के लिये कृषि के साथ-साथ डेयरी/दुग्ध उत्पादन पर भी अत्यधिक निर्भर हैं। हमारी सरकार प्रदेश में गोवंश संरक्षण के साथ ही, इस कार्य से जुड़े परिवारों को सहायता देने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेगी। इसी दृष्टि से डेयरी से सम्बन्धित गतिविधियों यथा गोवंश हेतु शैड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध/चारा/बांटा सम्बन्धी उपकरण खरीदने हेतु एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त short term ऋण उपलब्ध कराने के लिये Kisan Credit Card की तर्ज पर Gopal Credit Card [GCC] योजना प्रारम्भ करने की घोषणा करती हूं। इस योजना में प्रथम चरण में लगभग पांच लाख गोपालक परिवारों को ऋण उपलब्ध कराये जायेंगे। इस योजना पर आगामी वर्ष 150 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

25. कृषकों एवं ग्रामीण परिवारों के साथ ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई अन्य राज्यों की भांति ही हमारे प्रदेश का युवा भी भविष्य के प्रति आशंका के कारण असुरक्षा व तनाव से ग्रस्त रहता है। ऐसे में युवाओं को सम्बल प्रदान कर उनके रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। इस क्रम में युवाओं के रोजगार हेतु आगामी वर्ष सरकार के अधीन लगभग 70 हजार पदों पर भर्तियां किये जाने की मैं घोषणा करती हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सुनिए। इसके बाद आपको मौका देंगे।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): साथ ही, युवाओं की Counselling और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में उनके स्वर्णिम करियर निर्माण के लिए प्रदेश के समस्त सम्भाग मुख्यालयों पर युवा साथी केन्द्र स्थापित किये जाने भी प्रस्तावित हैं। इस हेतु 10 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

26. पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाएं होने तथा समय पर परीक्षाओं का आयोजन नहीं होने से प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय हुआ है। इससे युवाओं में गहरा असंतोष है।

हमने सरकार बनाते ही पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम एवं दोषियों को सज़ा दिलाने के लिये Special Investingation Team (SIT) का गठन कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। युवा हमारे प्रदेश के कर्णधार हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की दृष्टि से उन्हें employable बनाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिये:-

(सुश्री दिया कुमारी)

I. प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में campus placement के आयोजन के साथ-साथ Skill Development Training Programmes चलाये जायेंगे।

II. भर्ती परीक्षाएं समयबद्ध आयोजित कराने के लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आदि का वार्षिक भर्ती परीक्षा Calendar जारी किया जायेगा।

III. मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम प्रारम्भ कर आगामी दो वर्षों में 20 हजार युवाओं एवं लोक कलाकारों को Guide/Hospitality/ पारम्परिक कला सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाकर एम्प्लायबल बनाया जायेगा।

27. माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव क्षमता के उन्नयन, न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण तथा राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्व को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा '**राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020**' लाई गई। हम प्रदेश में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को इस forward looking नीति के अनुसरण में गुणवत्तापूर्ण बनायेंगे। सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग, लघु/सीमांत/ बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को KG से PG तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा करती हूं।

28. प्रदेश की राजकीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा एवं शिक्षण का बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाने की दृष्टि से भवनों के repair, कक्षा-कक्षों एवं बालिका toilets के निर्माण तथा विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित hostels एवं residential schools में सुविधाओं के उन्नयन तथा repair व maintenance कार्यों हेतु 250 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

29. आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र-छात्राएं विद्यालय में हीन भावना से ग्रस्त न हों तथा उन्हें भी शिक्षा हेतु आवश्यक स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफार्म उपलब्ध हो सकें, इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी एक हजार रुपये की सहायता प्रदान किये जाने की मैं घोषणा करती हूं। इस प्रकार लगभग 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे।

(सुश्री दिया कुमारी)

30. प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा एवं उनके 'Out of the Box' Ideas का समाज, प्रदेश एवं देश की उन्नति में सार्थक योगदान हो तथा इसके साथ ही उन्हें अपने सपने साकार करने के समुचित अवसर मिलें, इस दृष्टि से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर में 'Atal Innovation Studio and Accelerators' की स्थापना करने की घोषणा करती हूं। इन accelerators में software coding, Robotics Fab Lab एवं Multi Media/VFX सम्बन्धी विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस हेतु 1 हजार करोड़ रुपये व्यय होंगे।

31. आज देश के बड़े शहरों में जहां एक ओर बढ़ती आबादी के कारण आवश्यक सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके समाधान के लिये कई राज्यों ने 'Satellite City' विकसित कर सफलता प्राप्त की है। उदाहरण के लिये मुम्बई के निकट पुणे, हैदराबाद के निकट Cyberabad एवं अहमदाबाद के निकट GIFT City की utility और success से सभी अवगत हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा लाये गये 'गति शक्ति' कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार भी इस हेतु सहायता उपलब्ध कराती है। हमारे प्रदेश में जयपुर शहर 40 लाख की आबादी के साथ इस समस्या से जूझ रहा है। इस क्रम में मैं जयपुर के निकट 'High Tech City' विकसित किये जाने की घोषणा करती हूं।

इस 'High Tech' Township में IT/Fintech, Financial Management, AI/ML सहित अन्य New Age Subjects के संस्थानों/कंपनियों को स्थापित करने हेतु special incentives दिये जायेंगे। साथ ही यहां world class city के अनुरूप निवासियों को समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी।

32. युवाओं के all round personality development में sports का अत्यधिक महत्व है। युवाओं के लिये प्रेरणा के साथ ही, किसी भी प्रदेश के लिये गौरव का विषय होगा कि उसके युवा Olympics में भाग लें। Olympics में भाग लेने के लिये प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को Training/Kit/Coach सहित सभी विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'Mission Olympics-2028' की मैं घोषणा करती हूं। इसके लिये जयपुर में Centre of Excellence for Sports भी स्थापित किया जायेगा। इस हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

(सुश्री दिया कुमारी)

33. साथ ही जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में बालिकाओं के लिये ‘Residential Girls Sports Institutes’ 25-25 करोड़ रुपये की राशि से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

34. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विदित है हमारी केन्द्र की सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 20 सितम्बर, 2023 को संसद तथा विधान सभा में महिला आरक्षण का प्रावधान करने हेतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। इसमें भी महिलाओं को खुशी नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अब यह हमारा दायित्व है कि बालिकाओं को प्रारम्भ से ही समुचित शिक्षा एवं सम्बल प्राप्त हो, जिससे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज/देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का Saving Bond प्रदान करने हेतु ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ प्रारम्भ किये जाने की मैं घोषणा करती हूं।

35. माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु प्रारम्भ की गई 'लखपति दीदी योजना' के अन्तर्गत प्रदेश में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों में से दो लाख 80 हजार (दो लाख अस्सी हजार) महिलाएं एवं उनके परिवार, एक लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आमदनी कर रहे हैं। इस योजना को और अधिक गति देते हुए आगामी वर्ष 5 लाख परिवारों की आय एक लाख रुपये वार्षिक तक ले जाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

36. वर्तमान में 'प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना' के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए दो किस्तों में 5 हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान है। आगामी वर्ष प्रदेश में प्रथम चरण के रूप में इसे बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये किये जाने की घोषणा करती हूं। इस पर 90 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। साथ ही, प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को स्वास्थ्य जांच, पोषण तथा Pre-school Education की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने के लिए आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन किया जायेगा। इस हेतु 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

(सुश्री दिया कुमारी)

37. मैं, माननीय सदन को स्वामी विवेकानन्द का कथन याद दिलाना चाहूंगी-

"It is a privilege to serve mankind,

for this is the worship of God.

God is here in all these human souls.

He is the soul of man."

अर्थात् "मानव जाति की सेवा करना सौभाग्य की बात है, क्योंकि यह ईश्वर की पूजा है। ईश्वर यहीं है, इन सभी मानव आत्माओं में। वह मनुष्य की ही तो आत्मा है"।

हमारी सरकार इसी भावना से समस्त प्रदेशवासियों, विशेषकर अल्प आय वर्ग तथा विभिन्न वंचित वर्गों को सहायता व सम्बल देने का कार्य करेगी।

38. केन्द्र सरकार द्वारा 'आयुष्मान भारत योजना' के माध्यम से देश के कोने-कोने में आम आदमी को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। हमारी गत सरकार द्वारा प्रदेश में 'भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना' के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को चिकित्सा सुविधा सरकारी के साथ ही निजी चिकित्सालयों में भी उपलब्ध कराये जाने की पहल की गई थी।

आज कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियों का इलाज भी नई तकनीक से OPD में सम्भव हो रहा है। अतः आमजन को गम्भीर बीमारी की स्थिति में और अधिक राहत देने की दृष्टि से अब मैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में IPD के साथ-साथ 'Day Care' Package जोड़ने की घोषणा करती हूं।

39. प्रदेश में तृतीय चरण में 4 हजार 875 करोड़ (चार हजार आठ सौ पचहत्तर करोड़) रुपये की लागत से स्थापित किये जाने वाले 15 मेडिकल कालेजों की स्वीकृति जारी होने के पश्चात् भी विगत सरकार द्वारा कार्य न केवल अत्यधिक विलम्ब से शुरू किये गये, बल्कि कार्य करने की गति भी बहुत धीमी रही। हालात यह थे कि केन्द्र से प्राप्त एक हजार 500 करोड़ रुपये की राशि भी पूर्ण रूप से खर्च नहीं हो पाई। हम समस्त मेडिकल कालेजों का कार्य प्राथमिकता से पूरा करते हुए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवायेंगे, जिससे आमजन को चिकित्सा सुविधा का पूरा-पूरा लाभ मिल सके। साथ ही, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मानव

(सुश्री दिया कुमारी)

जीवन को बचाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष प्रदेश के Highways पर 25 Advanced Life Support Ambulances उपलब्ध करवायी जानी प्रस्तावित हैं।

40. भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को आमजन के स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आयुष मिशन की स्थापना कर कार्य को गति दी गयी थी। अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस-21 जून, 2024 के अवसर पर ब्लाक स्तर तक वृहद् रूप से आयोजन किये जायेंगे तथा प्रदेश में आयुष कार्यक्रम के संचालन के लिए आगामी वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

41. माननीय सदस्यों को विदित है कि 30 जनवरी, 2024 को सदन में, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जरूरतमंदों के लिए एक हजार 500 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के हमारे संकल्प को पूरा करने की ओर, एक और बड़ा कदम उठाते हुए, प्रथम चरण में वर्तमान में देय एक हजार रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर आगामी वर्ष से एक हजार 150 (एक हजार एक सौ पचास) रुपये करने की घोषणा कर दी गयी है। इस हेतु आगामी वर्ष एक हजार 800 करोड़ (एक हजार आठ सौ करोड़) रुपये का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित है।

42. हम सभी श्रमिकों, street vendors तथा लोक कलाकारों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों और भविष्य सम्बन्धी आशंकाओं से भी भली-भांति परिचित हैं। श्रमिकों एवं street vendors को वृद्धावस्था में भी सम्बल प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से मैं, 18 से 45 (अट्ठारह से पैंतालीस) वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करती हूं। इस योजना में 60 से 100 रुपये मासिक premium देने पर, 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरान्त 2 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। शेष लगभग 400 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति का premium राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। यह पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी। इस योजना हेतु 350 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

43. इसके साथ ही, प्रदेश के 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराये में वर्तमान में दी जा रही 30 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना भी प्रस्तावित है।

(सुश्री दिया कुमारी)

44. दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके कौशल विकास, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि आवश्यक है, इसके लिए जयपुर में Composite Regional Centre की स्थापना के साथ ही, Physiotherapy, Speech-therapy आदि सुविधा प्रदान करने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर District Disability Rehabilitation Centres (DDRC) भी स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

45. हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था-

"समस्या संसाधनों या क्षमता की कमी की नहीं है, किन्तु इच्छाशक्ति की कमी की है।"

मैं, सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगी कि हमारी सरकार आमजन विशेषकर वंचित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति से कार्य करेगी। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति अथवा परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रह जाये, इस उद्देश्य से माननीय प्रधान मंत्री जी की पहल पर प्रदेश भर में 'विकसित भारत संकल्प यात्रा/शिविरों' का आयोजन किया गया है।

इसी क्रम में यह भी अति आवश्यक है कि हमारे पंचायती राज संस्थाएं एवं स्थानीय नगरीय निकाय मजबूती से प्रदेश के कोने-कोने में बसे हर परिवार तक सम्बल पहुंचा सकें। इस दृष्टि से इन Grassroot Democratic Institutions को और अधिक सशक्त करने के लिए राज्य के शुद्ध कर-आय की वर्तमान में निर्धारित SFC Grant को 6.75 प्रतिशत से बढ़ाकर आगामी वर्ष के लिए 7 प्रतिशत करने की घोषणा करती हूं। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन Institutions को 316 करोड़ (तीन सौ सोलह करोड़) रुपये की वृद्धि के साथ, कुल अनुमानित Grant 8 हजार 864 करोड़ (आठ हजार आठ सौ चौंसठ करोड़) रुपये मिल सकेगी।

(समय: 12.00 बजे)

46. माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा 15 अगस्त, 2014 को आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को सम्बल देने के साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता बिना किसी pilferage के, पूर्ण पारदर्शिता से, लाभार्थी परिवारों तक पहुंच सके, इस हेतु 'जनधन योजना' के

(सुश्री दिया कुमारी)

माध्यम से सभी परिवारों के बैंक खाते खोलने के कार्य का शुभारंभ किया गया था। इसी क्रम में वर्ष 2015-16 में केन्द्र सरकार के बजट के अन्तर्गत 'JAM Trinity' अर्थात् 'जनधन-आधार-मोबाइल' को जोड़ते हुए Direct Benefit Transfer (DBT) तथा Digital Payment की मजबूत नींव सम्पूर्ण देश में रखी गई। इसी कड़ी में प्रदेश में हमारी गत सरकार ने इसे 'भामाशाह योजना' के नाम से implement किया तथा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इसका नाम बदल कर 'जनाधार' कर दिया गया।

हमारी सरकार इस कार्यक्रम को Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML)/Data Cloud जैसी नई तकनीक का प्रयोग कर और आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध है। असहाय एवं जरूरतमंद परिवारों का SMART System (Service Management with Artificial Intelligence and Real Time System) के माध्यम से स्वतः चिन्हीकरण कर उन्हें अवगत कराते हुए स्वीकृति एवं Benefit Transfer को त्वरित/पारदर्शी Online प्रक्रिया से करने के लिए राजस्थान 'अनुग्रह' सेवा प्रदायगी अधिनियम लाने की घोषणा करती हूं। इस हेतु 150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) रुपये से आवश्यक IT आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

47. आमजन तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने में राजकीय कर्मचारियों की महती भूमिका को देखते हुए आगामी वर्ष कर्मचारियों को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए DPC हेतु 2 वर्ष की छूट दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही-

I. कार्मिकों को वेतन तथा जीपीएफ (GPF) सम्बन्धी सभी सूचनायें/ विवरण Mobile App के माध्यम से online उपलब्ध करवायी जायेंगी।

II. Retirement के बाद भी कार्मिकों को समस्याओं को सामना न करना पड़े, इस दृष्टि से retirement day पर ही पेंशन परिलाभों एवं पारिवारिक पेंशन की स्वीकृतियां online जारी की जायेंगी। पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को घर से ही Digital Life Certificate प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

III. Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत कार्मिकों एवं पेंशनर्स को CONFED (राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ) के माध्यम से दवाइयों की Door Step Delivery सुविधा प्रदान की जायेगी।

(सुश्री दिया कुमारी)

48. राज्य में सुशासन स्थापित करने एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के implementation में मानदेय कार्मिकों तथा नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के जन-प्रतिनिधियों की महती भूमिका को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों यथा-मिनी आंगनबाड़ी/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, मां-बाड़ी कार्यकर्ता, Mid-Day Meal Cook cum Helper, लांगरी, Homeguards, REXCO कर्मियों तथा नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि किये जाने की घोषणा करती हूं।

49. माननीय सदस्य, इससे सहमत होंगे कि किसी भी प्रदेश की खुशहाली के लिए वहां की कानून व्यवस्था मजबूत होनी आवश्यक है। राजस्थान की सम्पूर्ण देश में शान्तिप्रिय प्रदेश के रूप में विशिष्ट पहचान रही थी। गत सरकार के कार्यकाल में लचर कानून व्यवस्था एवं आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकामी के चलते नकल माफिया, बजरी माफिया आदि पनपने के साथ ही अपराधियों के हौसले भी बुलंद हुए तथा प्रदेश की छवि भी खराब हुई है। इससे आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी के साथ ही, वर्ष 2020 से प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध, दुष्कर्म, बच्चों, SC/ST के विरुद्ध अपराधों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि देखी गई।

50. प्रदेश में अपराधों के नियंत्रण, बेहतर कानून-व्यवस्था तथा आमजन को त्वरित न्याय दिलाने के लिए-

I. पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपये का 'Police Modernisation and Infrastructure Fund' गठित किये जाने की घोषणा करती हूं।

II. नवसृजित 34 (चौंतीस) पुलिस थानों में परिवादियों की त्वरित सुनवाई तथा सहयोग हेतु Cyber Helpdesk तैयार की जायेगी। स्थानीय प्रशासन एवं विभिन्न एजेंसियों के समन्वय से hotspot क्षेत्रों में cyber crime नियंत्रण के लिए ठोस कार्ययोजना बनायी जायेगी।

51. साथ ही, प्रदेश में बालिका/महिलाओं के लिए सहज एवं सुरक्षित वातावरण तैयार करने की दृष्टि से-

प्रत्येक जिले में, क्योंकि ये सिर्फ मर्दों का प्रदेश नहीं है, महिला सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है।

(सुश्री दिया कुमारी)

I. प्रत्येक जिले में Anti Romeo Squad के गठन के साथ ही शेष रहे 174 (एक सौ चौहत्तर) पुलिस थानों में Women Helpdesks स्थापित की जायेंगी।

II. बालिका/महिलाओं से छेड़छाड़ व अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतनों में CCTV कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से 'लाडली सुरक्षा योजना' शुरू किये जाने की मैं घोषणा करती हूं।

III. बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत Self-Defence का प्रशिक्षण दिया जाता है। बालिकाओं को इस प्रशिक्षण को अधिक से अधिक संख्या में लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए Self-Defence की उच्चतम श्रेणी-Black Belt को Sports Quota के अन्तर्गत सम्मिलित करने की घोषणा भी करती हूं।

52. वर्ष 2008-09 में हमारी सरकार द्वारा वर्ष 1975-77 के दौरान आपातकाल के समय लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्षरत व्यक्तियों को सम्मान एवं सहायता देने की दृष्टि से मीसा/डीआईआर (DIR) आदि बंदियों हेतु लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना लागू की गई थी। गत सरकार ने इस योजना को वर्ष 2019 में बंद कर दिया। हमारी सरकार ने इस योजना को पुनः बहाल करते हुए 20 हजार रुपये पेंशन एवं 4 हजार रुपये चिकित्सा सहायता के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया है। यह योजना सतत रूप से संचालित रहे तथा लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान के साथ ही निर्बाध रूप से पेंशन प्राप्त होती रहे, इस दृष्टि से 'राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम' लाया जाना प्रस्तावित है।

53. हम राजस्थान को विकास एवं खुशहाली के पथ पर तीव्र गति से आगे ले जाने के साथ ही प्रदेश की गौरवशाली विरासत को संरक्षित करने तथा पारम्परिक लोक कलाओं से जुड़े कलाकारों को सम्बल प्रदान करने के कार्य को भी प्राथमिकता देंगे। माननीय सदस्यों को जानकर आश्चर्य होगा कि गोविन्ददेव जी-जयपुर, मानगढ़ धाम-बांसवाड़ा, मेहंदीपुर बालाजी-दौसा, रणकपुर जैन मन्दिर-पाली, डिग्गी कल्याणजी-टोंक, बेणेश्वर धाम-डूंगरपुर, रामदेवरा-जैसलमेर, तेजाजी मंदिर (खरनाल)-नागौर, देवनारायणजी (आसींद)-भीलवाड़ा, मचकुंड-धौलपुर, जलदेवी मंदिर (रेलमगरा)-राजसमंद जैसे असीम आस्था केन्द्रों

(सुश्री दिया कुमारी)

के सौन्दर्यीकरण (beautification) एवं वहां सुविधायें विकसित करने के लिए गत सरकार ने घोषणा तो की, किन्तु हकीकत में कोई कार्य नहीं किये। अब मैं, इन आस्था स्थलों के साथ-साथ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित पूंछरी का लौठा-डीग, श्री बड़े मथुरेश जी-कोटा, त्रिनेत्र गणेश जी (रणथम्भौर)-सवाई माधोपुर आदि को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के ऐसे 20 मन्दिरों/आस्था केन्द्रों के विकास कार्य, आगामी वर्ष में 300 करोड़ (तीन सौ करोड़) रुपये की राशि से करवाये जाने की घोषणा करती हूं।

54. प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत की झांकी दिखाने वाले अल्बर्ट हॉल-जयपुर, राजकीय Museum-अलवर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर एवं जोधपुर सहित 10 प्रमुख Museums का उन्नयन करने तथा State Archives - बीकानेर के अन्तर्गत Public Gallery के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

55. राजस्थान प्रदेश रणबांकुरों की जननी के रूप में देश-विदेश में अपनी अलग ही पहचान रखता है। आज भी महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर, प्रदेश के निवासियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। इस दृष्टि से महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों, चावण्ड-हल्दीघाटी-गोगुन्दा-कुम्भलगढ़-दिवेर-उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप Tourist Circuit विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा करती हूं। साथ ही, भारतीय फौज में राजस्थान के युवाओं के शौर्य व बलिदान को सम्मान देने के लिए प्रदेश में Armed Forces Museum की स्थापना के लिए DPR बनाये जाने के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

56. स्थानीय वनस्पतियों के संरक्षण तथा पर्यावरण जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए खेजड़ली-जोधपुर में अमृतादेवी बिश्नोई Indigenous Plant Museum स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

57. माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के लोकप्रिय पूर्व प्रधान मंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था-

"एक व्यक्ति को सशक्त करना देश को सशक्त करना है और यह सशक्तीकरण तेज आर्थिक प्रगति एवं शीघ्र सामाजिक बदलाव से ही सम्भव है।"

हम राजस्थान प्रदेश को अमृतकाल खण्ड के अन्त तक (वर्ष 2047

(सुश्री दिया कुमारी)

तक) देश की प्रगति में योगदान देने वाला अग्रिम राज्य बनाने के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सीख के अनुसार आर्थिक समृद्धि के पथ पर अग्रसर करेंगे। इस क्रम में आमजन को राहत देने के साथ ही प्रदेश में निवेश पर भी ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है।

58. मैं, माननीय सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने तथा आमजन के जीवन स्तर के उत्थान व जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी implementation के लिए सार्थक कदम उठाये जायेंगे। इस कड़ी में हमने प्रदेश के आर्थिक उन्नयन के लिए 'Rajasthan Economic Revival Task Force' के गठन का निर्णय लिया है।

59. उद्यमिता, निवेश एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार procedural सरलता व पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए Amnesty योजनायें प्रस्तावित की जा रही हैं, जो 31 जुलाई, 2024 तक प्रभावी रहेंगी-

I. VAT Amnesty - अन्तरराज्यीय बिक्री के प्रकरणों, लम्बित/विवादित प्रकरणों तथा केवल ब्याज की मांग वाले प्रकरणों में बकाया राशि का 10 से 20 प्रतिशत जमा करवाने पर शेष राशि माफ की जायेगी।

II. Stamp Duty Amnesty - स्टाम्प ड्यूटी की मांग के प्रकरणों में ब्याज एवं penalty की शत-प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

III. Transport Amnesty - वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने हेतु Amnesty योजनायें प्रस्तावित हैं, जो इस प्रकार हैं-

(i) Tax Amnesty -

(a) नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने की दिनांक के बाद के समस्त कर एवं उस कर पर देय penalty/ब्याज की छूट प्रदान की जायेगी।

(b) नष्ट हो चुके वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों पर 31 मार्च, 2023 तक के बकाया कर जमा कराने पर देय penalty/ब्याज की छूट प्रदान की जायेगी।

(ii) e-Rawanna Amnesty - खान विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर दर्ज over loading (अतिभरण) के प्रकरणों में compounding (प्रशमन) राशि में 96 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जायेगी।

(सुश्री दिया कुमारी)

(iii) End of Life Vehicles Amnesty - पंजीकृत वाहन Scrapping सुविधा केन्द्र पर एक वर्ष तक scrap कराये जाने वाले End of Life Vehicles का scrap किये जाने तक बकाया कर को एकमुश्त जमा कराने पर देय penalty/ब्याज में छूट प्रदान की जायेगी।

IV. Energy Amnesty - 31 मार्च, 2023 से पूर्व कटे हुए कनेक्शन वाले कृषि विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा मूल बकाया राशि 6 Bimonthly किस्तों में जमा कराने व कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा सम्पूर्ण मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर उनकी समस्त ब्याज एवं penalty राशि माफ की जायेगी।

60. प्रदेश में 'Ease of Doing Business' (EoDB) को प्रभावी कर आमजन को और अधिक सुविधायें उपलब्ध करवाने की दृष्टि से-

I. पक्षकारों द्वारा स्वयं भरी गई सूचनाओं के आधार पर पंजीयन हेतु उनका दस्तावेज स्वतः तैयार हो सकेगा। इसके साथ ही, आवश्यक सभी सूचनायें एवं GIS आधारित डी.एल.सी., स्वयं पक्षकार द्वारा अपलोड करने की सुविधा भी mobile app के माध्यम से दी जानी प्रस्तावित है।

II. दस्तावेजों के online anywhere registration के कार्य को गति देने के लिए, मौका निरीक्षण हेतु online app विकसित करते हुए qualified मौका निरीक्षकों को empanel करने की कार्यवाही की जायेगी।

III. भौतिक स्टाम्प पत्रों के स्थान पर Stamp Duty के online माध्यमों यथा e-GRAS एवं RajSTAMP को बढ़ावा दिया जायेगा तथा refund की प्रक्रिया को भी सरल व automate किया जायेगा।

IV. आमजन के साथ ही निवेशकों को अपनी परियोजना सम्बन्धी पंजीयन कार्य के लिये दर-दर नहीं भटकना पड़े, इस दृष्टि से Toll-Free Helpline के साथ ही, सभी ज़िलों में चरणबद्ध रूप से 24×7 कार्य करने वाले आदर्श रजिस्ट्रेशन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

V. प्रदेश में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों की दरों के demystification की दृष्टि से उन्हें चरणबद्ध रूप से revise कर rationalise किया जायेगा।

VI. स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन के सिद्धान्त की बेहतर पालना सुनिश्चित करने हेतु वाणिज्यिक कर तथा आबकारी विभागों में कार्यों की

(सुश्री दिया कुमारी)

चरणबद्ध रूप से faceless management की व्यवस्था की जायेगी। इस दृष्टि से प्रदेश में Online Integrated Tax Management System, Integrated Excise Management System तथा जन-आधार Wallet को और अधिक सुदृढ़ एवं व्यापक किया जायेगा।

VII. वर्तमान में परिवहन विभाग के द्वारा e-Licence एवं e-Registration Certificate जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के बाद भी आमजन को स्मार्ट कार्ड के लिये राशि 200 रुपये का अतिरिक्त व्यय करना होता है। अब आमजन को इस अतिरिक्त व्यय से मुक्त करने के लिये smart card व्यवस्था को समाप्त करते हुए e-Driving Licence एवं e-Registration Certificate की व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित है।

VIII. वाहन स्वामियों के वाहनों के Fitness Test की सुविधा को सुगम करने के लिए अपने पंजीकरण के ज़िले में ही fitness करवाये जाने की बाध्यता को समाप्त कर anywhere fitness test की व्यवस्था लागू की जानी प्रस्तावित है।

61. राज्य के किसानों के हितों तथा आम उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए चीनी और गुड़ पर मण्डी शुल्क को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

62. प्रदेश में गत सरकार द्वारा 19 नवम्बर, 2019 को पुनः भूमि पर लैण्ड टैक्स लगाने के कारण प्रदेश के उद्यमियों तथा निवेशकों को हुई कानूनी एवं वित्तीय समस्याओं का समाधान करने एवं उन्हें राहत देने की दृष्टि से मैं लैण्ड टैक्स (Land Tax) समाप्त करने की घोषणा करती हूं। साथ ही, पूर्व में सृजित Land Tax की demand के सम्बन्ध में Amnesty देते हुए मात्र मूल Tax की demand का 10 प्रतिशत जमा कराने पर शेष demand भी समाप्त करना प्रस्तावित है।

63. अब मैं वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों के संक्षिप्त तथ्य सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं।

64. वर्ष 2024-25 में 4 लाख 86 हजार 615 करोड़ 10 लाख (चार लाख छियासी हजार छह सौ पन्द्रह करोड़ दस लाख) रुपये का कुल व्यय अनुमानित है। इन बजट अनुमानों में राजस्व व्यय 2 लाख 82 हजार 247 करोड़ 65 लाख (दो लाख बयासी हजार दो सौ सैंतालीस करोड़ पैंसठ लाख)

(सुश्री दिया कुमारी)

रुपये और राजस्व प्राप्तियां 2 लाख 58 हजार 378 करोड़ 29 लाख (दो लाख अट्ठावन हजार तीन सौ अठहत्तर करोड़ उनतीस लाख) रुपये अनुमानित की गई है। राजस्व घाटा 23 हजार 869 करोड़ 36 लाख (तेईस हजार आठ सौ उनहत्तर करोड़ छत्तीस लाख) रुपये का अनुमानित किया गया है। राज्य का राजकोषीय घाटा 67 हजार 240 करोड़ 48 लाख (सड़सठ हजार दो सौ चालीस करोड़ अड़तालीस लाख) रुपये होना अनुमानित किया गया है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3.95 प्रतिशत रहने का अनुमान है। राज्य का Debt-GSDP ratio 37.48 प्रतिशत रहना अनुमानित है।

मैं माननीय सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को यह विश्वास दिलाती हूं कि राज्य की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिए हम हर सम्भव कदम उठायेंगे।

65. FRBM (Fiscal Responsibility and Budget Management) Act की धारा 5 के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले, 'मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण' (Medium Term Fiscal Policy Statement) और 'राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण' (Fiscal Policy Strategy Statement) सदन में प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

66. वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अन्य बजट पत्रों के साथ कुछ अधिसूचनायें जारी की जा रही हैं तथा अनुदान मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं। चूंकि आगामी लोक सभा चुनाव के कारण बजट प्रस्तावों पर विधान सभा में चर्चा कराकर 31 मार्च, 2024 से पूर्व वार्षिक बजट पारित कराया जाना संभव नहीं है। अतः मैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले चार महीनों के लिए यथा-31 जुलाई, 2024 तक व्यय हेतु लेखानुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूं। इस लेखानुदान में मांग संख्या 9 - निर्वाचन, मांग संख्या 36 - आपदा प्रबंधन एवं सहायता तथा मांग संख्या 41 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए पूरे वर्ष के लिए अपेक्षित राशि की मांग की गयी है, क्योंकि इन मदों में होने वाला व्यय सामयिक है और इन्हीं महीनों में अधिक व्यय होने की संभावना है तथा इस व्यय को स्थगित नहीं किया जा सकता है। लेखानुदान की अवधि यथा 31 जुलाई, 2024 के पूर्व ही सदन के समक्ष परिवर्तित बजट अनुमान व प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

(सुश्री दिया कुमारी)

67. हम राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने, इसकी गौरवशाली विरासत को संरक्षित करने एवं प्रदेशवासियों को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों, मजदूरों तथा वंचित वर्गों को सशक्त कर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए 'विकसित एवं उन्नत राजस्थान' के निर्माण की परिकल्पना को साकार किये जाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे।

मैं, देश के लोकप्रिय पूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्तियां याद करना चाहूंगी-

"बाधायें आती हैं आयें, घिरें प्रलय की घोर घटायें,

पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालायें,

निज हाथों में हंसते-हंसते, आग लगाकर जलना होगा।

कदम मिलाकर चलना होगा।"

68. अब मैं, लेखानुदान प्रस्तावों को स्वीकृत करने के अनुरोध के साथ माननीय सदन के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूं।

जय हिन्द। जय श्रीराम।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। बैठिये। श्रीमती दिया कुमारी, वित्त मंत्री, राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 का उपस्थापन करेंगी तथा उसे सदन की मेज पर रखेंगी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2024-25 के लिये लेखानुदान (वोट आन अकाउण्ट) सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करती हूं।

श्री अध्यक्ष: आपको पहले वह पढ़ना है। यह भी पढ़ना था, आप यह पहले पढ़ गयीं। पढ़ना दोनों ही है।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 का उपस्थापन करती हूं एवं इसे सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती दिया कुमारी, वित्त मंत्री वर्ष 2024-25 के लिये लेखानुदान (वोट आन अकाउण्ट) सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करेंगी।

लेखानुदान (वोट-आन-अकाउंट) सम्बन्धी विवरण (वर्ष 2024-25)

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से वर्ष 2024-25 के लिये लेखानुदान (वोट आन अकाउण्ट) सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करती हूं।

श्री अध्यक्ष: लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव पर मतदान। श्रीमती दिया कुमारी, वित्त मंत्री लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगी।

लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लेखानुदान वर्ष 2024-25 (चार माह के लिये) के विवरण में मांग संख्या - 1 से 64 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग रुपये 11,04,01,85,53,000/- (एक लाख दस हजार चार सौ एक करोड़ पचासी लाख तिरपन हजार रुपये) मात्र है, व्यय के लिये अनुदत्त कर दी जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लेखानुदान वर्ष 2024-25 (चार माह के लिये) के विवरण में मांग संख्या - 1 से 64 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग रुपये 11,04,01,85,53,000/- (एक लाख दस हजार चार सौ एक करोड़ पचासी लाख तिरपन हजार रुपये) मात्र है, व्यय के लिये प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य। श्रीमती दिया कुमारी।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2024

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी। (व्यवधान)

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप व्यवधान मत डालिये। आपने अनुमति मांगी है, दे देंगे।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती दिया कुमारी।

विधेयक पर विचार

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2024 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2024 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 एवं 3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती दिया कुमारी।

विधेयक का पारण

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2024 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2024 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-2) विधेयक, 2024 पारित किया गया।

वित्तीय कार्य, वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन एवं मतदान। श्रीमती दिया कुमारी।

अनुपूरक अनुदान की मांग

अनुपूरक अनुदान की मांग वर्ष 2023-24 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2023-24 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: आसन की ओर से अनुपूरक मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी।

मुखबंद

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2023-24 का पारण

मांग संख्या 2 - राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 2 - राज्य विधान

(श्री अध्यक्ष)

मण्डल के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,17,93,000/- (दस करोड़ सत्रह लाख तिरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 6 - विधि एवं विधिक कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6 - विधि एवं विधिक कार्य विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 7 - मंत्री परिषद्

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7 - मंत्री परिषद् के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,79,96,000/- (पांच करोड़ उनासी लाख छियानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 9 - निर्वाचन विभाग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9 - निर्वाचन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,25,06,000/- (इक्कीस करोड़ पच्चीस लाख छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 10 - वाणिज्यिक कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 10 - वाणिज्यिक

(श्री अध्यक्ष)

कर विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 88,90,80,000/- (अठासी करोड़ नब्बे लाख अस्सी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 11 - पंजीयन एवं मुद्रांक

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11 - पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 57,76,53,000/- (सतावन करोड़ छिहत्तर लाख तिरपन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 12 - आबकारी

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12 - आबकारी विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,60,66,000/- (चार करोड़ साठ लाख छियासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 14 - राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14 - राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,51,95,11,000/- (एक अरब इक्यावन करोड़ पचानवे लाख ग्यारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 15 - पेंशन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15 - पेंशन के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,80,95,93,000/- (ग्यारह अरब अस्सी करोड़ पचानवे लाख तिरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 16 - राजस्व

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16 - राजस्व विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 18 - गृह

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18 - गृह विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,54,27,03,000/- (एक अरब चौवन करोड़ सत्ताईस लाख तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 19 - कारागार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 - कारागार विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,82,06,000/- (तीन करोड़ बयासी लाख छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 20 - प्रारम्भिक शिक्षा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20 - प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,74,61,58,000/- (दो अरब चौहत्तर करोड़ इकसठ लाख अठावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 21 - माध्यमिक शिक्षा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21 - माध्यमिक शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,53,32,82,000/- (दो अरब तिरपन करोड़ बत्तीस लाख बयासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,47,61,45,000/- (दो अरब सैंतालीस करोड़ इकसठ लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 24 - तकनीकी शिक्षा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 - तकनीकी शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,98,93,000/- (नौ करोड़ अठानवे लाख तिरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 25 - कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25 - कला एवं संस्कृति विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 26 - युवा मामले एवं खेल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26 - युवा मामले एवं खेल विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,59,42,000/- (सैंतीस करोड़ उनसठ लाख बयालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,00,14,80,000/- (पांच अरब चौदह लाख अस्सी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये

(श्री अध्यक्ष)

जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,000/- (सैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,14,08,90,000/- (एक अरब चौदह करोड़ आठ लाख नब्बे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32 - महिला एवं बाल विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32 - महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 38,22,59,000/- (अड़तीस करोड़ बाईस लाख उनसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 33 - सैनिक कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 - सैनिक कल्याण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,06,78,000/- (ग्यारह करोड़ छह लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 34 - श्रम एवं रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 - श्रम एवं रोजगार विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,02,90,000/- (पांच करोड़ दो लाख नब्बे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 36 - आपदा प्रबन्धन एवं सहायता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36 - आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,50,91,75,000/- (आठ अरब पचास करोड़ इक्यानवे लाख पचहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 37 - देवस्थान

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 - देवस्थान विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,61,21,000/- (बाईस करोड़ इकसठ लाख इक्कीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 38 - सूचना एवं जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38 - सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 59,27,80,000/- (उनसठ करोड़ सत्ताईस लाख अस्सी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,21,95,56,000/- (छह अरब इक्कीस करोड़ पचानवे लाख छप्पन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

संख्या 41 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,28,14,89,000/- (दो अरब अट्ठाईस करोड़ चौदह लाख नवासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000/- (तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 43 - सिंचित क्षेत्र विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43 - सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 40,05,19,000/- (चालीस करोड़ पांच लाख उन्नीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 44 - सार्वजनिक निर्माण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 44 - सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,71,27,66,000/- (चौदह अरब इकहत्तर करोड़ सत्ताईस लाख छियासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 46 - कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46 - कृषि विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 72,96,45,000/- (बहत्तर करोड़ छियानवे लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45 - वन एवं पर्यावरण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री अध्यक्ष)

1,15,14,25,000/- (एक अरब पंद्रह करोड़ चौदह लाख पच्चीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,99,92,000/- (तेरह करोड़ निन्यानवे लाख बानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह किरोड़ी जी एक में भी हां नहीं कर रहे।

श्री अध्यक्ष: यह मेरे को ध्यान है। आप तो हां भर दो। माननीय सदस्य, आप भी हां भर दो। सर्वसम्मति से..(व्यवधान)

मांग संख्या 48 - उद्यानिकी

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48 - उद्यानिकी विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,45,13,000/- (छह करोड़ पैंतालीस लाख तेरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 49 - गोपालन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 49 - गोपालन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 47,43,74,000/- (सैंतालीस करोड़ तैंतालीस लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 29,000/- (उनतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 52 - पंचायती राज

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 52 - पंचायती राज विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,92,72,000/- (तीन करोड़ बानवे लाख बहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,14,05,80,000/- (तीन अरब चौदह करोड़ पांच लाख अस्सी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 54 - ऊर्जा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 54 - ऊर्जा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 33,40,13,49,000/- (तैंतीस अरब चालीस करोड़ तेरह लाख उनचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 55 - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 55 - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,92,91,000/- (दो करोड़ बानवे लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष जी, कालीचरण जी हां नहीं कर रहे हैं। केवल हो कर रहे हैं। हां नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: यह आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी हां भरो।

एक माननीय सदस्य: माननीय सदस्य जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: सचेतक महोदय, ध्यान करिये।

मांग संख्या 57 - पेट्रोलियम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 57 - पेट्रोलियम विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 50,02,12,000/- (पचास करोड़ दो लाख बारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 58 - खान

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 58 - खान विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 35,93,25,000/- (पैंतीस करोड़ तिरानवे लाख पच्चीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 59 - पर्यटन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 59 - पर्यटन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,77,49,09,000/- (दो अरब सतहत्तर करोड़ उनचास लाख नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 61 - विज्ञान एवं तकनीकी

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 61 - विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,87,99,000/ -(छह करोड़ सतासी लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 62 - परिवहन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 62 - परिवहन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 38,31,24,000/- (अड़तीस करोड़ इकतीस लाख चौबीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 63 - आयोजना एवं सांख्यिकी

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 63 - आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री अध्यक्ष)

8,69,95,000/- (आठ करोड़ उनहत्तर लाख पचानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 64 - अन्य सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 64 - अन्य सामान्य सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,31,39,000/- (छह करोड़ इकतीस लाख उनतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य। श्रीमती दिया कुमारी।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2024

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप बैठिये। आप पहले अनुमति लीजिये। आप स्लिप भेजें। बिना अनुमति के नहीं। हो गया? हो गया?

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): हो गया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती दिया कुमारी विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2024 को पुर:स्थापित करती हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह क्या है? अपने-अपने स्थानों पर बैठिये। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठिये। यह क्या तमाशा है? सारे माननीय विधायकों को मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि सदन में अपनी सीट छोड़कर के मंत्रियों तक नहीं जायेंगे। उनके चैम्बर में जायें।

श्रीमती दिया कुमारी प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2024 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2024 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2024 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 एवं 3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्रीमती दिया कुमारी।

विधेयक का पारण

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2024 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सचेतक। मैंने स्पष्ट कहा है। शांत रहें। मुझे ध्यान है। आप सभी समान हैं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2024 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2024 पारित किया गया।

घोषणा

माननीय सदस्यगण द्वारा विधान सभा समितियों में मनोनयन हेतु प्राथमिकताओं का प्रेषण

माननीय सदस्यों को जन-गण-मन होने से पहले एक जानकारी दे रहा हूं कि जो माननीय सदस्य जिस कमेटी में रहना चाहते हों, अपनी च्वाइस की 3 कमेटियों के नाम हमारे सचिव महोदय के यहां दे दें, ताकि उनकी योग्यता, रुचि के अनुसार हम लोग तय कर सकें।

राष्ट्र गान। जन गण मन।

(श्री अध्यक्ष)

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा,
द्राविड़-उत्कल-बंगा
विन्ध्य-हिमाचल, यमुना-गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन-गण-मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय-जय-जय-जय हे।

सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.00 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)